न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 219/2022

निर्णय दिनांक: 30.1.2023

ऑनलाईन नंबर 2022/292

1. रमेश कुमार पुत्र चन्दनमल जाति गुरनाणी (सिंधी) निवासी श्रीडूंगरगढ़।
2. अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति गुरनाणी (सिंधी) निवासी श्रीडूंगरगढ़।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़।
2. जमनादेवी पत्नी शेराराम जाति जाट निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर. एक्ट।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 692/559 तादादी 0.2529 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थीगण ने उपर्युक्त कृषि भूमि मूल साबिका खसरा नम्बर 559/258 तादादी 3.88 हैक्टेयर भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2013 को अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद की थी। मुताबिक विक्रय—पत्र आसे—पासे की भूमि प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 150 फुट फंट नाप से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसके आसे—पासे निम्न प्रकार से है :—

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
ख. न. 258 की भूमि	एन.एच.11	ख.न. 258 व मधुसुदन डागा की भूमि	ख. नं. 258 की भूमि

यह है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 1 से करवाया व खरीदशुदा भूमि का नक्शा भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तरमीम कर प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 692/559 की भूमि को तरमीम किया गया है, प्रार्थीगण ने एन. एच. 11 पर 150 फुट फंट नाप से जमीन खरीद की थी, जिसका इन्द्राज विक्रय पत्र में है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त नाम अनुसार नक्शा तरमीम न कर कब्जा काश्त मौका स्थिति के विपरीत राजस्व नक्शे में गलत तरमीम किया है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की दक्षिणी सीमा का माप 150 फुट की जगह नक्शा में 96 फुट (29.37 मीटर) गलत तरमीम किया है। जिसे प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि का माप व क्षेत्रफल में अन्तर आया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 21.11.2022 को आवश्यक कार्य के लिए वादगत खसरा भूमि के राजस्व दस्तावेज की नकलें प्राप्त की तो जानकारी हुई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका कब्जा तथा विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व एक्स में प्रार्थीगण की खातेदारी को तरमीम नहीं किया है। प्रार्थीगण ने इसी दिन अप्रार्थीगण [illegible] किया कि वे विक्रय पत्र अनुसार मौका पर नाप कर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को सही रूप से तरमीम कर दे तो [illegible] आप सक्षम न्यायालय से कार्यवाही कर दो। हम सहमति से राजस्व एक्स में आपकी खातेदारी भूमि की [illegible] दुरूस्त नहीं करायेंगे। प्रार्थीगण ने विक्रय पत्र दि[illegible] 11.03.2013 अनुसार अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खातेदारी भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त किया था, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के एक्स में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के दक्षिणी तरफ एन.एच. 11 पर 150 फुट सीमा से नाप गलत तरमीम अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई है, जिस प्रार्थीगण को अपूर्त्यक क्षति हो रही है। प्रार्थीगण ऐसा गलत तरमीम इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड एक्स में सही तरमीम करवाने का अधिकार रखते है। यही प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का आधार है। प्रार्थना–पत्र श्रीमान्‌जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो कि हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 692/559 तादादी 0.2529 हैक्टेयर भूमि रोही बेनीसर के राजस्व एक्स में प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2013 के अनुसार 29.37 मीटर की जगह 150 फुट (45.73 मीटर) की तरमीम राजस्व एक्स में करने का आदेश अप्रार्थीगण को देकर नक्शा दुरूस्त करवाने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकाराराज ने उपस्थित होकन जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 692/559 तादादी 0.2529 हैक्टेयर भूमि रोही बेनीसर के राजस्व एक्स में प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2013 के अनुसार तरमीम राजस्व एक्स में करने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.1.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested